# इस्लामिक स्टेट 2.0 का जायजा

लेखक- एम.के. नारायणन (पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-III (आंतरिक सुरक्षा) से संबंधित है।

द हिन्दू

20 मई, 2019

**"भारत और श्रीलंका दोनों ही यह मानते हैं कि वे कट्टरपंथी अतिवादी प्रवृत्तियों से परिरक्षित हैं, लेकिन इस पर फिर से ध्यान देने की आवश्यकता है।"**

इस साल 21 अप्रैल यानी ईस्टर सन्डे को, श्रीलंका ने समन्वित बम विस्फोटों की एक श्रृंखला का सामना किया, जिसमें 250 से अधिक लोग मारे गए। 2009 में गृहयुद्ध समाप्त होने के बाद से यह श्रीलंका में सबसे बड़ा आतंकी हमला था, जिससे एक दशक से व्याप्त शांति एक ही झटके में समाप्त हो गई।

लगातार तीन चर्चों और तीन होटलों पर हमले, जहाँ पर्यटकों की संख्या बहुत थी, स्पष्ट रूप से एक संदेश को आगे बढ़ाने के लिए किये गये थे। जिस तरह से इसे अंजाम दिया गया, उससे यह संकेत मिलता है कि इसकी गतिशीलता वैश्विक थी, लेकिन अपराधी स्थानीय थे। चर्चों पर हमलों का पैटर्न इस्लामिक स्टेट (आईएस) द्वारा पिछले साल मई में इंडोनेशिया के सुराबाया में और इस जनवरी फिलीपींस के जोलो में किये गये चर्चों पर हमले से अलग नहीं था। हालांकि, सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए हमलों के तुरंत बाद आईएस ने भी इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। आईएस के नेता अबुबक्र अल-बगदादी ने बाद में यह घोषणा की कि श्रीलंका में हुआ हमला इस साल मार्च में सीरियाई बलों द्वारा अंतिम आईएस शासित गाँव बुरुज में किये गये हमले का बदला था।

**कट्टरपंथ के लिए महत्वपूर्ण**

हालांकि, सबसे अधिक बार यह सवाल पूछा जाता है कि आईएस (IS) द्वारा श्रीलंका को चुनने का क्या कारण था। लेकिन सबसे अधिक प्रासंगिक सवाल यह हो सकता है कि इस क्षेत्र में आईएस द्वारा हमला पहले क्यों नहीं देखा गया। दक्षिण एशिया आज कट्टरपंथी इस्लामवादी अतिवादी गतिविधि का एक आभासी पुंज है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान के माध्यम से मालदीव से बांग्लादेश तक कट्टरपंथी इस्लामी चरमपंथ काफ़ी विस्तृत हो चुका है। हालाँकि, भारत और श्रीलंका दोनों ही यह मानते हैं कि वे कट्टरपंथी अतिवादी प्रवृत्तियों से परिरक्षित हैं, लेकिन इस पर फिर से ध्यान देने की आवश्यकता है।

श्रीलंका के मामले में यह स्पष्ट हो चुका है कि अधिकारियों ने इस तथ्य पर से आंखें मूंद ली थी कि उनके उत्तर-पूर्व में कट्टानकुडी और इसके परिप्रदेश जैसे क्षेत्र में वहाबी-सलाफी का वर्चस्व काफी बढ़ गया है। यहाँ मुस्लिम युवा काफी हद तक कट्टरपंथी बन गये हैं, जो इनके लिए खतरे की घंटी है। उदाहरण के तौर पर, जहरान मोहम्मद हाशिम, जिन्होंने 2014 में कट्टानकुडी में नेशनल तौहीद जमात (NTJ) की स्थापना की और कुछ वर्षों के भीतर इसकी सदस्यता का कई गुना विस्तार किया, जिसे अनदेखा करना एक बड़ी भूल थी। हाशिम, जो उन आतंकवादियों में से था जिन्होंने ईस्टर दिवस पर बमबारी की थी और इस प्रक्रिया में मारा गया था, ने अपने कट्टरपंथी एजेंडे का समर्थन करने के लिए अपनी वाक-पटुता क्षमता के साथ सैकड़ों प्रभावशाली युवाओं को उकसाया और एक उदारवादी इस्लामी परिदृश्य को अधिक कट्टरपंथी में बदलने में सक्षम बना।

आईएस का आगमन 21वीं सदी के दूसरे दशक की शुरुआत में हुआ था, ऐसे समय में जब आतंकवादियों की एक नई प्रजाति मिस्र देश से, सैय्यद कुतुब और फिलिस्तीनी, अब्दुल्ला अज्जम से प्रेरित होकर उभरी थी, जो अफगान सरदार जलालुद्दीन हक्कानी के व्यावहारिक धर्मशास्त्र के साथ जुड़कर काफी शक्तिशाली बन गया था। इसके अलावा, आईएस ने एक 'नया खलीफा का अधिकार क्षेत्र' की अवधारणा को पेश किया, जो विशेष रूप से अल-बगदादी के इस्लामी इतिहास पर आधारित एक खलीफा के अधिकार क्षेत्र के दृष्टिकोण से जुड़ी हुई थी। इसने दुनिया भर में मुस्लिम युवाओं की कल्पना को प्रज्वलित किया और स्वयंसेवकों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए एक शक्तिशाली चुंबक के समान बन गया। एक समय जब यह अपने चरम पर था, तो आईएस इराक और सीरिया दोनों क्षेत्रों में, यूनाइटेड किंगडम के आकार के लगभग बराबर था।

**महत्वपूर्ण भूमिका**

इस्लामिक स्टेट 2.0 खलीफा के अधिकार क्षेत्र के विषय के प्रति समर्पित है, भले ही अब यह अस्तित्व में नहीं हो। इसने इंटरनेट पर अपनी क्षमता को बरकरार रखा है, जिसके कारण ये जिहाद को घर-घर तक पहुँचाने में सफल हो जाते हैं।

आईएस स्टेट 2.0 में मूल अवधारणा से कई नए बदलाव शामिल हैं। सीरिया और इराक के युद्ध के मैदानों से लौटे मुस्लिम समुदाय अन्य उत्पीड़ित मुस्लिम समुदायों द्वारा नियोजित रणनीति का पालन करने के लिए अधिक इच्छुक हैं। श्रीलंका में, पारिवारिक रिश्तों के एक घनिष्ठ जाल ने गोपनीयता सुनिश्चित की है और जानकारी के रिसाव को रोका है, जिससे पुराने समय के अराजकतावादियों के तरीकों का विरोध किया गया है। ऑनलाइन प्रचार और सोशल मीडिया पर भरोसे में काफी वृद्धि हुई है।

हमलों की रणनीति 'लोन वुल्फ' (यह स्वतंत्र रूप से किसी एक व्यक्ति द्वारा विशेष विचारधारा से प्रभावित होकर अचानक किया गया आतंकी हमला) हमलों, जिन्हें पिछले साल सबसे अधिक पश्चिम में देखा गया था, से बदलकर बड़े पैमाने पर लगातार समन्वित हमलों में बदल चुकी है, जिसे श्रीलंका में देखा जा सकता है। हालांकि, वास्तविक खतरा यह है कि आईएस समय आने पर मुस्लिम चरमपंथी को समझाने में सक्षम है। आईएस 2.0 में आईएस के रूप में, 'क्षेत्रीय लचीलेपन' को 'रणनीतिक लचीलेपन' से बदल दिया जा रहा है। संघर्ष को असमानताओं या मुस्लिम अल्पसंख्यकों के साथ हुए अन्याय के खिलाफ नहीं बताया गया है। बल्कि, इसे एक नई आतंकवादी इस्लामी पहचान की खोज के रूप में दर्शाया गया है। इसका मुस्लिम समाजों की आंतरिक गतिशीलता से अधिक लेना-देना है, जो दुनिया भर में कट्टरपंथी प्रवृत्तियों की ओर झुकता हुआ दिखाई देता है। सऊदी फंडिंग और विदेशी प्रचारकों की भूमिका भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

**भारत के लिए सबक**

भारत को श्रीलंका में ईस्टर संडे के दिन जो कुछ भी हुआ, उससे सबक लेना चाहिए। भारत पहले से ही आईएस के रडार पर है और आईएस द्वारा एक अलग प्रान्त बनाने की घोषणा को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। किए गए दावों में से कुछ अतिरंजित दिखाई दे सकते हैं लेकिन आईएस 2.0 द्वारा उत्पन्न खतरा वास्तविक है।

श्रीलंका और भारत में आईएस समूहों के बीच संबंध वर्तमान में उजागर हुए हैं और यह वाकई में चिंता का कारण है। ईस्टर धमाकों का सरगना हाशिम तमिलनाडु और केरल में जिहादियों से जुड़ा हुआ था। उसकी तमिलनाडु में एक इकाई थी। भारतीय अधिकारियाँ तमिलनाडु के कोयंबटूर में दर्ज सितंबर, 2018 के आपराधिक षड्यंत्र मामले को फिर से जाँच कर एक बेहतर शुरुआत की जा सकती है, जिसमें भारत में हिंदुओं और गैर-मुस्लिम कार्यकर्त्ताओं को लक्षित करने के लिए आईएस द्वारा कुछ अति-उत्साही योजनाएं बनाई गयी थीं। राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (एनआईए) ने अपनी जाँच के दौरान केरल और तमिलनाडु में आईएस इकाईयों को श्रीलंका में एनटीजे से जुड़े होने के संबंध में जानकारी दी है। इस जाँच को और आगे बढ़ाने की जरूरत है। भारत में ईस्टर बम विस्फोटों में संदिग्ध श्रीलंकाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर अदील अमीज को शामिल करने के लिए एनआईए द्वारा विस्तृत जाँच का आह्वान किया गया है।

सीरिया से लौटने वाले भारतीयों की संख्या कम हो सकती है, लेकिन उनमें से प्रत्येक अपना उद्देश्य खो चुके होंगे। उनकी यादों में केवल तोपखाने बैराज, रॉकेट फायर और उन हवाई हमलों की यादें होंगी जो आईएस से जुड़े होंगे।

## GS World टीम...

### अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक व्यापक अभिसमय (CCIT)

**क्या है?**

- यह मसौदा वर्ष 1996 में भारत द्वारा तैयार किया गया था, जो आतंकवाद के खिलाफ व्यापक एवं एकीकृत कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।
- CCIT एक कानूनी ढाँचा प्रदान करता है, जो हस्ताक्षरकर्त्ता देशों पर यह बाध्यता आरोपित करता है कि वे आतंकवादी संगठनों को वित्तीय सहायता अथवा शरण प्रदान नहीं करेंगे।
- इसमें प्रावधान है कि आतंकवाद की सार्वभौमिक परिभाषा हो, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के सभी सदस्य देश अपने आपराधिक कानून में शामिल करेंगे।

**उद्देश्य**

- आतंकवाद की सार्वभौमिक परिभाषा के लिये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली (UNGA) के सभी 193 सदस्य देश इस आपराधिक कानून को अपनाएंगे।
- सभी आतंकवादी समूहों पर प्रतिबंध लगाना और आतंकवादी शिविरों को बंद करना।
- विशेष कानूनों के तहत सभी आतंकवादियों पर मुकदमा चलाना।
- वैश्विक स्तर पर सीमापार आतंकवाद को प्रत्यर्पण योग्य अपराध घोषित करना।

**गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967**

**क्या है?**

- यह कानून भारत में गैरकानूनी कार्य करने वाले संगठनों की कारगर रोकथाम के लिए बनाया गया था।
- इसका मुख्य उद्देश्य देश विरोधी गतिविधियों के लिए कानूनी शक्ति का प्रयोग करना है।
- इस अधिनियम के अनुसार यदि कोई राष्ट्रद्रोही आन्दोलन का समर्थन करता है अथवा किसी विदेशी देश द्वारा किये गये भारत के क्षेत्र पर दावे का समर्थन करता है, तो वह अपराध माना जाएगा।
- यह 1967 में पारित हुआ था।बाद में यह पहले 2008 में और फिर 2012 में संशोधित हुआ था।

**अधिनियम के कुछ विवादित प्रावधान-**

- इसमें आतंकवाद की जो परिभाषा दी गई है, वह उतनी स्पष्ट नहीं है। इसलिए अहिंसक राजनैतिक गतिविधियाँ और राजनैतिक विरोध भी आतंकवाद की परिभाषा के अन्दर आ जाता है।
- यदि सरकार किसी संगठन को आतंकवादी बताते हुए उस पर प्रतिबंध लगा देती है, तो ऐसे संगठन का सदस्य होना ही एक आपराधिक कृत्य हो जाता है।
- इस अधिनियम के अनुसार किसी को भी बिना आरोप-पत्र के 180 दिन बंदी बनाया जा सकता है और 30 दिनों की पुलिस कस्टडी में लिया जा सकता है।
- इसमें जमानत मिलने में कठिनाई होती है और अग्रिम जमानत का तो प्रश्न ही नहीं उठता।
- इसमें मात्र साक्ष्य के बल पर किसी अपराध को आतंकवादी अपराध मान लिया जाता है।
- इस अधिनियम के अन्दर विशेष न्यायालय बनाए जाते हैं, जिनको बंद कमरे में सुनवाई करने का अधिकार होता है और जो गुप्त गवाहों का उपयोग भी कर सकते हैं।

## संभावित प्रश्न ( प्रारंभिक परीक्षा )

**1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-**

1. इस्लामिक स्टेट 2.0 खलीफा के अधिकार क्षेत्र के विषय के प्रति समर्पित है।
2. इस्लामिक स्टेट द्वारा पहले इंडोनेशिया, फिलिपींस और फिर श्रीलंका में वीभत्स हमले किये गये हैं।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

**1. Consider the following statements-**

1. Islamic State 2.0 is dedicated to the subject of territory of Khalifa.
2. Henious crimes have been perpetrated in Indonesia first, Philippines and then Sri Lanka by Islamic State.

Which of the above statements is/are correct?

(a) Only 1
(b) Only 2
(c) Both 1 and 2
(d) Neither 1 nor 2

## संभावित प्रश्न ( मुख्य परीक्षा )

**प्रश्नः- हाल ही में खबरों में रहे इस्लामिक स्टेट 2.0 से आप क्या समझते हैं? क्या इस्लामिक स्टेट ने अपनी खोई हुई जमीन वापिस हासिल कर ली है? वर्तमान घटनाओं के सन्दर्भ में अपने विचार प्रस्तुत कीजिये।**

**( 250 शब्द )**

**Q. What do you mean by Islamic State 2.0 in the news recently? Has Islamic State acquired its lost land? Present your views in the context of present events.**

**(250 Words)**

**नोट :** 18 मई को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(b) होगा।